(232)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 3(119)नविवि/3/09 जयपुर, दिनांक 18 FEB 2011

:: शुद्धि – पत्र ::

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.11.2010 के बिन्दु संख्या 1 व 2 में निम्नानुसार लिखा हुआ पढा समझा जावे :–

बिन्दु संख्या 1 में अंकित " सम्पूर्ण राशि संबंधित नगर विकास न्यास/नगर निकाय में जमा करवाई जावे " के स्थान पर " **देय सम्पूर्ण राशि में से राज्य की सिंचित निधि व संबंधित जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/परिषद/पालिका के कोष में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुपात में जमा करवाई जावे।** "

" बिन्दु संख्या 2 में अंकित सम्पूर्ण राजस्व राशि भी संबंधित नगर विकास न्यास/नगर निकाय में जमा करवाई जावे। " के स्थान पर " देय सम्पूर्ण राशि में से राज्य की सिंचित निधि व संबंधित जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/परिषद/पालिका के कोष में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुपात में जमा करवाई जावे। "

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
7. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
12. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शुद्धि पत्र को समस्त नगरीय निकायों में सर्कुलेट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव